न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 194 / 2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2023 / 21
दायर दिनांक :– 11.08.2023 **निर्णय दिनांक :–** 24.02.2025

1. कालूसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2. देवीसिंह उर्फ देरावरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत नि. अखाधना तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाबकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2. नरपतसिंह पुत्र रूपसिंह फौत के कायम मुकाव व वारिसान

2/1 भंवरसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2/2 काछबसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2/3 लखसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2/4 समुन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2/5 पपूसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2/6 हिम्मतसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2/7 केसरसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी

3. सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लि. बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद बेदखली एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थीगण के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टाया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 40.8570 हैक्टेयर सरहद मौजा अखाधना पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में स्थित है। जिमसें प्रार्थी संख्या 1 का 315 / 5048 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 79 / 1262 हिस्सा है। प्रार्थीगण का स्थायी निवास अन्य खसरान की भूमि में होने तथा वादग्रस्त भूमि से दूरी पर उपस्थित होने से प्रार्थीगण काश्त के समय या प्राकृतिक उपज प्राप्त करने के लिये ही वादग्रस्त भूमि पर आते जाते है। वर्तमान में उक्त भूमि

सोलर कम्पनी को लीजा पर देने से प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर आना–जाना नहीं रहता है। इसी मौके का नाजायज फायदा उठाते हुवे अप्रार्थी संख्या 1 ता 2/7 ने अतिक्रमण कर गैर कानूनी तरीके से खसरा नम्बर 19 रकबा 48.8570 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण के 1/18 हिस्सा पर नाजायज कब्जा कर लिया है जिसे प्रार्थीगण बेदखल करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिस से यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण का कब्जा है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)